THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
W.P. No.8005/2019
(Smt. Sukhwati Bai Vs State of MP & Ors.)

Jabalpur,
Dated:30.04.2018

Shri Sanjay Roy, learned counsel for the petitioner.

Shri Vikram Johri, learned Panel Lawyer for the respondents/State.

Heard on admission.

The petitioner before this Court has filed this petition under Article 226 of the Constitution of India being aggrieved by the inaction on the part of the respondents in granting the benefit of Kramonnati under the time bound promotion scheme 19.4.1999 in the light of law laid down in the case of **K.L.Asre Vs. State of MP decided** on 7.11.2005 in WP No.1070/2003.

This court finds that although the petitioner has submitted representation (Annexure P-2) before the respondents but he has not quoted the aforesaid judgment in the said representations. Therefore, an opportunity of submitting a fresh representation may be granted to the petitioners.

It is pertinent to mention here that earlier, this Court, in those cases in which the Government employees' identical cases are covered by an order passed by this Court, has passed specific order on 04.1.2017 in W.P. No.20876/2016 and acting upon the same, the Chief Secretary, Government of M.P. has also issued a circular to the all the departments of the Government. The aforesaid circular reads as under:-

''मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी–3–4/ /2017/3/एक भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषयः– डब्ल्यू.पी.क्र. 20876/2016 द्वारा श्रीमती सुशीला देवी चौधरी, संविदा शाला शिक्षक, जिला शहडोल विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य, में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/01/2017 के परिपालन बाबत्।

विषयांकित न्यायालयीन प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा इस बात को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है कि पूर्व के समरूप उदाहरण/न्यायालयीन निर्णय होने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदकों/याचिकाकर्ताओं को नियमोचित वांछित लाभ नहीं दिया जाता है अथवा अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण नहीं किया जाता है जिससे कर्मचारीगण न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश होते हैं जिससे उन पर तो आर्थिक भार पड़ता ही है, साथ ही, न्यायालय में भी प्रकरणों की अनावश्यक बढ़ोतरी होती है। अतः मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैंः–

(1) जैसे ही शासकीय कर्मचारी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय के प्रकाश में समरूप लाभ बाबत् अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त अभ्यावेदन का नियमानुसारनिराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जावे।

(2) शासकीय कर्मचारी से भी अपेक्षा है कि यदि पूर्व में पारित निर्णय के प्रकाश में समरूप लाभ बाबत् उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त न्यायालयीन निर्णय में निर्धारित समय सीमा के पश्चात् ही न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। जिन न्यायालयीन निर्णयों में समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे प्रकरणों में समय सीमा चार सप्ताह मानी जानी चाहिए।

2/ अतः अपेक्षा है कि कृपया मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण स्पीकिंग आर्डर के जरिए निर्धारित समय में किया जावे। मूल निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण समय सीमा में न होने से अवमानना प्रकरण दायर होता है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाये।

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग''

Apparently, the petitioner has not followed the aforesaid circular and has also been wrongly advised by the counsel to file this petition.

In the circumstances, subject to deposit the cost of Rs.500/- before the M.P. State Legal Services Committee, Jabalpur, without entering into the merit of the case, this petition is **disposed of** with a direction to the petitioner to comply with the directions issued in the aforesaid circular.

Certified copy as per rules.

(Subodh Abhyankar)
Judge

Digitally signed by MANZOOR AHMED
Date: 2019.05.01 11:08:47 +05'30'

Ansari.